

कार्यालय जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी, महाराजगंज


विज्ञप्ति संख्या:- 1156 / व्यवस्थापन / 2022-23


दिनांक:- 07-01-2022

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2022-23 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या-02 / 2022 / 01ई-2 / तेरह-2022-01 / 2020-1419282 दिनांक 01.01.2022 एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-19938 / दस- लाइसेंस-367 / सुझाव आबकारी नीति / 2022-23 दिनांक: प्रयागराज: जनवरी 02, 2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद -महाराजगंज में वर्ष 2022-23 हेतु देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन दिनांक 09.01.2022 से प्रारम्भ होगा। सर्वप्रथम वर्ष 2021-22 में व्यवस्थित एवं नवीनीकरण के लिए अर्ह पायी गयी दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 09.01.2022 (समय 10:00 बजे) से दिनांक 21.01.2022 (सायं 05:00 बजे) तक ई-लाटरी पोर्टल www.upexcisee.lottery.gov.in पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं, ऑनलाइन नवीनीकरण के पश्चात् जनपद की अवशेष मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के प्रथम चरण के माध्यम से दिनांक 12.03.2022 (मध्याह्न 12:00 बजे) से किया जायेगा।


जनपद में मदिरा एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण एवं अवशेष दुकानों को ई-लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानों की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्तें जनपद की वेबसाइट <https://maharajganj.nic.in> विभागीय वेबसाइट www.upexciseportal.in तथा ई-लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर देखी जा सकती है।


(जितेन्द्र कुमार पाण्डेय)
जिला आबकारी अधिकारी,
महाराजगंज।


(सत्येन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी,
महाराजगंज।

संख्या 1157-59 / तददिनांकित।
प्रतिलिपि:-

- 01- प्रबन्धक दैनिक समाचार पत्र- दैनिक जागरण, अमर उजाला को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित विज्ञप्ति का प्रकाशन कम से कम स्थान पर प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु जिला सूचना अधिकारी से सत्यापित कराकर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
- 02- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, महाराजगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने का करें।
- 03- जिला सूचना अधिकारी, महाराजगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित विज्ञप्ति का प्रचार-प्रसार अपने स्तर से करने का कष्ट करें।


जिला आबकारी अधिकारी,
महाराजगंज।